# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
## नोहर, जिला हनुमानगढ़
## पीठासीन अधिकारी : सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 – 716/2022

अनवान :- –

1. आनंद कुमार पारीक पुत्र राजेराम पारीक जाति ब्राहमण निवासी कोहिणा तहसील तारानगर जिला चुरू।

– वादी

बनाम्

1. राजेराम पुत्र सीताराम जाति ब्राहमण निवासी कोहिणा तहसील तारानगर जिला चुरू।
2. श्याम सुन्दर पारीक पुत्र राजेराम पारीक जाति ब्राहमण निवासी कोहिणा तहसील तारानगर जिला चुरू।
3. रामकिशन जोशी दत्तक पुत्र पारा देवी जाति ब्राहमण निवासी सुरपुरा तहसील नोहर।
4. पारा पत्नी मोहनलाल जाति ब्राहमण निवासी सुरपुरा तहसील नोहर।
5. भागवन्ती पुत्री राजेराम जाति ब्राहमण निवासी कोहिणा तहसील तारानगर जिला चुरू।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

**निर्णय** दिनांकः

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के खाता स0 433/432 के खसरा न0 277, 278, 283, 284 की कुल 8.8650 है0 भूमि व रोही मौजा सुरपुरा तहसील नोहर के खाता स0 145/138 के खसरा न0 41, 42/2, 43/2, 43/3 की कुल 13.0640 हैक्ट भूमि व रोही मौजा जोरावरपुरा तहसील नोहर के खाता स0 15/52 के खसरा न0 46 की कुल 2.8080 है0 भूमि उक्त तीनों खातों की भूमि में 1/6 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 3 रामकिशन व 1/6 हिस्सा भूमि प्रतिवादीया स0 4 पारा के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी स0 4 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उपरोक्त वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदार भूमि है । वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू रीति–रिवाज से शासित है [illegible] वादी एवं प्रतिवादीगण का उक्त वाद भूमि में जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादी [illegible] है ने अपना हक हिस्सा अपने पुत्रों के पक्ष में त्याग कर दिया है क्योंकि प्रतिवादी स0 1 के रोही मौजा कोहिना में अलग से

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.18 15:37:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

भूमि दर्ज है जो प्रतिवादी स0 1 के यथावत रहेगी। प्रतिवादीया स0 4 ने अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा अपने दत्तक पुत्र के पक्ष में परित्याग कर दिया है एवं प्रतिवादीया स0 5 उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है, अपना जो भी हक हिस्सा है अपने भाईयों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। इस प्रकार प्रतिवादी स0 1, 4 व 5 का उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नही बचा है। बाद हक त्याग मुताबिक समझौता उपरोक्त तीनों खातों की वाद भूमि मे वादी एवं प्रतिवादी स0 2 व 3 ब0हि0ब0 काबिज है। वादी अपने हिस्से की भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादीगण को काफी मर्तबा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 ने जरिये अधिवक्ता दावा की सभी मद संख्याओं को स्वीकार कंरते हुए अपना ईकबाल जवाब पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण का कोई एतराज नही है। वादी के द्वारा खोलानाम व पारिवारिक समझौता पेश किया गया। प्रतिवादी सं0 6 राजपेरोकार ने जवाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई एतराज नही है जवाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की संयुक्त हिन्दू परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि है जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादी स0 1 जो वादी का पिता है ने अपना हक हिस्सा अपने पुत्रों के पक्ष में त्याग कर दिया है क्योंकि प्रतिवादी स0 1 के रोही मौजा कोहिना में अलग से भूमि दर्ज है जो प्रतिवादी स0 1 के यथावत रहेगी। प्रतिवादीया स0 4 ने अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा अपने दत्तक पुत्र के पक्ष में परित्याग कर दिया है एवं प्रतिवादीया स0 5 उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है, अपना जो भी हक हिस्सा है अपने भाईयों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। वादी के वाद को प्रतिवादीगण स0 1 ता 5 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोक़ार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर [illegible] किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद मे वादी ने [illegible] मौजा [illegible]पतपुरा तहसील नोहर के खाता स0 433/432 के खसरा न0 277, 278, 283, 284 की कुल 8.8650 है0 भूमि व रोही मौजा

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.18 15:37:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

सुरपुरा तहसील नोहर के खाता स0 145/138 के खसरा न0 41, 42/2, 43/2, 43/3 की कुल 13.0640 हैक्ट भूमि व रोही मौजा जोरावरपुरा तहसील नोहर के खाता स0 15/52 के खसरा न0 46 की कुल 2.8080 है0 भूमि उक्त तीनों खातों की भूमि में 1/6 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 3 रामकिशन व 1/6 हिस्सा भूमि प्रतिवादीया स0 4 पारा के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। प्रतिवादी सं0 1, 4 व 5 ने अपना हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी स0 2 व 3 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। वादी के वाद को प्रतिवादीगण स0 1 ता 5 ने स्वीकार कर मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया है। है। अतः वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 5 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का एतराज नही होने व वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है।

**क्रियात्मक आदेश**

अतः वाद वादी स्वीकार योग्य होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के खाता स0 433/432 के खसरा न0 277, 278, 283, 284 की कुल 8.8650 है0 भूमि व रोही मौजा सुरपुरा तहसील नोहर के खाता स0 145/138 के खसरा न0 41, 42/2, 43/2, 43/3 की कुल 13.0640 हैक्ट भूमि व रोही मौजा जोरावरपुरा तहसील नोहर के खाता स0 15/52 के खसरा न0 46 की कुल 2.8080 है0 भूमि उक्त तीनों खातों की भूमि में 1/6 हिस्सा भूमि प्रतिवादीया स0 4 पारा के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में प्रतिवादी सं0 4 पारा का नाम कलमजन किया जाकर उक्त तीनों खातों में प्रतिवादी स0 3 रामकिशन के दर्ज 1/6 हिस्सा भूमि की बजाय 1/9 हिस्सा भूमि तथा वादी आंनद कुमार पारीक व प्रतिवादी स0 2 श्याम सुन्दर पारीक को 2/9 हिस्सा भूमि के बराबर हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17/12/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.18 15:37:52 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर नोहर, जिला हनुमानगढ़

## पीठासीन अधिकारी :–सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 – 716/2022

अनवान : –

1. आनंद कुमार पारीक पुत्र राजेराम पारीक जाति ब्राहमण निवासी कोहिणा तहसील तारानगर जिला चुरू।

– वादी

बनाम्

1. राजेराम पुत्र सीताराम जाति ब्राहमण निवासी कोहिणा तहसील तारानगर जिला चुरू।
2. श्याम सुन्दर पारीक पुत्र राजेराम पारीक जाति ब्राहमण निवासी कोहिणा तहसील तारानगर जिला चुरू।
3. रामकिशन जोशी दत्तक पुत्र पारा देवी जाति ब्राहमण निवासी सुरपुरा तहसील नोहर।
4. पारा पत्नी मोहनलाल जाति ब्राहमण निवासी सुरपुरा तहसील नोहर।
5. भागवन्ती पुत्री राजेराम जाति ब्राहमण निवासी कोहिणा तहसील तारानगर जिला चुरू।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा व परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के खाता स0 433/432 के खसरा न0 277, 278, 283, 284 की कुल 8.8650 है0 भूमि व रोही मौजा सुरपुरा तहसील नोहर के खाता स0 145/138 के खसरा न0 41, 42/2, 43/2, 43/3 की कुल 13.0640 हैक्ट भूमि व रोही मौजा जोरावरपुरा तहसील नोहर के खाता स0 15/52 के खसरा न0 46 की कुल 2.8080 है0 भूमि उक्त तीनों खातों की भूमि में 1/6 हिस्सा भूमि प्रतिवादीया स0 4 पारा के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में प्रतिवादी सं0 4 पारा का नाम कलमजन किया जाकर उक्त तीनों खातों में प्रतिवादी स0 3 रामकिशन के दर्ज 1/6 हिस्सा भूमि की बजाय 1/9 हिस्सा भूमि तथा वादी आंनद कुमार पारीक व प्रतिवादी स0 2 श्याम सुन्दर पारीक को 2/9 हिस्सा भूमि के बराबर हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिना[illegible] हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.18 15:37:52 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर,नोहर